झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–14

एकादश (बजट) सत्र
मंगलवार, दिनांकः–21 मार्च, 2023 ई०।

समयः–10:00 बजे पूर्वा० से 05:03 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. लम्बित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् हैः–

i. सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना अपृष्ठ।

ii. प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

iii. श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

iv. श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

v. श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

vi. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

vii. डॉ0 सरफराज अहमद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

viii. श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

ix. श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

x. श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

2. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–20

(क) उत्तरित कुल–02	अ0सू0–32,	श्री सुदेश कुमार महतो	स0वि0स0
	अ0सू0–38,	श्री सरयू राय	स0वि0स0

(ख) अनागत कुल–18 क्रम संख्या–233 से 250 तक।

→

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–48

(क) अनागत कुल–48 क्रम संख्या–575 से 622 तक।

(विपक्षी सदस्यों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर वेल में शोरगुल व प्रदर्शन के कारण 11:20 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:00 बजे मध्या0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

(स्थगनोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा दिये गये कार्यस्थगन की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया तथा नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे अमान्य कर दिया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री निरल पुरती	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री रामदास सोरेन	स0वि0स0
सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0

इसके साथ ही माननीय सदस्य श्री केदार हजरा, माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा एवं माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की के शून्यकाल की सूचनाओं को भी पढ़ा हुआ माना गया।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें(क्रमांक–01 के क्रम में)

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् है:–

xi. श्रीमती पुष्पा देवी, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

xii. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6. आसन से घोषणा

श्री सुदेश कुमार महतो, अध्यक्ष एवं नेता विधायक दल, आजसू पार्टी के अनुरोध पर झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) से संबंधित मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–937, दिनांक–19.05.2015 की धारा–3 में विरोधी दल में एक मुख्य सचेतक तथा दो सचेतक

प्रावधानित है, के आलोक में आजसू पार्टी से निर्वाचित डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 को पंचम झारखण्ड विधान सभा में आजसू पार्टी का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गयी।

7. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (मांग संख्या–26)(खण्ड–7) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9,85,84,69,,000/–(नौ अरब, पचासी करोड़, चौरासी लाख, उनहत्तर हजार) रूपये से अनधिक की मांग सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(तत्पश्चात् 01:00 बजे अप0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित।)

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8. आसन से सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन से सदन को सूचित किया कि कल दिनांक–22.03.2023 को खेलगांव में मुख्यमंत्री एकादश और पत्रकार एकादश के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। इस मैच के लिए मुख्यमंत्री एकादश के टीम का चयन माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव एवं माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण तथा पत्रकार एकादश के टीम का चयन श्री आनन्द मोहन एवं श्री विनय कुमार करेंगे।

9. वित्तीय कार्य (क्रमांक–7 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:–

श्रीमती सीता सोरेन
श्री ढुलू महतो
श्री उमाशंकर अकेला
श्रीमती सुनिता चौधरी
श्री विनोद कुमार सिंह
श्री बैद्यनाथ राम
श्री किशुन कुमार दास

आसन से पुकारे जाने पर सरकार की ओर से श्री सत्यानन्द भोक्ता, प्रभारी माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा उत्तर दिया गया, इसके उपरांत अनुदान की माँग (मांग संख्या–26)(खण्ड–7) सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10. सूचना

अनुदान की माँग पर चर्चा के दौरान कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना दी गई:–

1. माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही ने सूचना दिया कि डालटनगंज, पलामू में प्रशासन के द्वारा अखाड़ा, जुलूस, ढोल, नगाड़ा, तासा, इत्यादि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है। कृपया इसे संज्ञान लेते हुए लगे प्रतिबंध को हटाया जाय।
2. माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सूचना के माध्यम से बताया कि पांकी विधान सभा क्षेत्र के पीरी, चाको, जमुने एवं अन्य सिंचाई परियोजना इस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रशासनिक स्वीकृति एवं टेंडर न हो पाने के कारण दो साल से लम्बित है। कृपया इसपर संज्ञान लिया जाय।
3. माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने सूचना दिया कि उनके विधान सभा क्षेत्र के एक व्यक्ति की मृत्यु कल दुर्घटना में हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम आज तक नहीं हो पाया है। कृपया इस पर संज्ञान लिया जाय।

4. माननीय सदस्य श्री केदार हजरा ने सूचना दिया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दपुरा गांव के प्रभु वर्मा का ग्यारह हजार वोल्ट करेंट की चपेट में आने से दो माह पूर्व मृत्यु हो गई। आज तक सरकार के द्वारा उनके आश्रित को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। कृपया इसपर संज्ञान लिया जाय।
5. माननीय सदस्य डॉ० लम्बोदर महतो ने सूचना के माध्यम से आसन से आग्रह किया कि बोकारो जिला सहित राज्य के एस०टी०, एस०सी० व ओ०बी०सी० छात्रों के लिए सरकार ने ई–कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की मांग की गयी है, परन्तु पोर्टल में तकनीकी समस्याओं एवं पदाधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण पोर्टल पर ऑनलाईन के माध्यम से करीब दस हजार से अधिक छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया अंतिम तिथि बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई लिया जाय ताकि छात्र आवेदन कर सके।
6. माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा ने सूचना दिया कि धनबाद में लगभग पाँच हजार एकड़ जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाईन नहीं हो पा रही है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा धनबाद जिला के गोविन्दपुर अंचल के पूर्वी टुंडी में सिर्फ रोक लगाने का आदेश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया था। परन्तु लिपिकीय भूल के कारण सम्पूर्ण मौजा में रजिस्ट्री ठप है। कृपया इसपर संज्ञान लिया जाय।
7. माननीय सदस्य डॉ० इरफान अंसारी ने आसन से आग्रह किया कि इनके क्षेत्र में चार साल पहले तक पैंसठ मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाती थी, परन्तु अभी सिर्फ दस मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे वहां के छात्र–छात्राओं को पढ़ाई में काफी कठिनाई आ रही है। इसकी सुधार हेतु कृपया संज्ञान लिया जाय।
8. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सूचना दिया कि ऊर्जा विभाग के द्वारा उनके क्षेत्र के उधवा प्रखण्ड में एक विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था, जिसे अभी हटा दिया गया। कृपया विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने हेतु संज्ञान लिया जाय।

(माननीय प्रभारी मंत्री के वक्तव्य के दौरान विपक्षी सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

11. विधायी कार्य

(क) दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक–2023

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 से खण्ड–46 तक, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक–2023"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री अमित कुमार मण्डल, श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(ख) जैन विश्वविद्यालय विधेयक–2023

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 से खण्ड–44 तक, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"जैन विश्वविद्यालय विधेयक–2023"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ०

लम्बोदर महतो, श्री अमित कुमार मंडल, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों का पुनः सदन में आगमन)

(दिनांक–22.03.2022 को होने वाली मुख्यमंत्री एकादश एवं पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के लिए घोषित खिलाड़ियों की सूची आसन से पढ़ा गया)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–22 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–21 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।